परिशिष्ट 'अट्ठाईस'

[20/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1493]

परिशिष्ट - "अ"

(3)

राजस्व अनुवृत्ति पत्र

प्र0क्र0 28 / 2016–2017 / बी–121 कले.कोर्ट

1	2	3
24.06.2017	1– प्रकरण पेश। 2– अनावेदक सोहनलाल धाकड़ स्वयं उपस्थित। उनके कथन अंकित कराये गये। साक्ष्य के रूप मे उनके द्वारा शपथ प्रस्तुत किया गया तथा उनके तर्क श्रवण किये गये। 3– प्रकरण मे अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य का भली–भाँति परिशीलन किया गया। उत्तर संतोषजनक समाधानकारक होने एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य शपथ पत्र पर आधारित होने से प्रकरण मे जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। 4– सम्बन्धित सूचित हों। 5-- आवश्यक कार्यवाही उपरांत प्रकरण अंक से कम होकर दाखिल रिकार्ड किया जाये।	

कलेक्टर

जिला गुना म0प्र0

परिशिष्ट - "क" ② ५

9/-08/2017/विभा.जाँच

कार्यालय आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक / विकास / 23–4 / 15 / 2017 / 3459 मुरैना, दिनांक 16 / 05 / 2017

/ / आदेश / /

आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक / 2650 / पं.रा. / वि.स. / शिका. / 2017 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा श्री ए. पी. प्रजापति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कैलारस, जिला मुरैना के द्वारा अध्यक्ष जनपद पंचायत कैलारस जिला मुरैना के लिए लगाए गए वाहन के अनुबंध एवं वाहन का किराया, ईंधन देयक के भुगतान में अनियमितताऐं की जाना परिलक्षित होने से कार्यालयीन समसंख्यक ज्ञाप क्रमांक 2137–38 दिनांक 04.03.2017 द्वारा श्री प्रजापति को आरोप पत्रादि प्रदाय कर 15 दिवस में प्रतिवाद चाहा गया, जो उनके द्वारा दिनांक 15.03.2017 को प्रस्तुत कर अधिरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया।

प्रतिवाद की छायाप्रति कार्यालयीन समसंख्यक पत्र क्रमांक 2379 दिनांक 21.03.2017 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना को प्रेषित कर वस्तुस्थिति का अभिमत चाहा गया, जो उनके द्वारा दिनांक 13.04.2017 को प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना द्वारा प्रस्तुत अभिमत का अवलोकन किया गया। श्री प्रजापति पर अधिरोपित आरोपों की सत्यता की जाँच कराया जाना आवश्यक होने से उनके विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित की जाकर म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14(2) के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना के विभागीय जॉच शाखा के प्रभारी अधिकारी को विभागीय जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा नियम–14 (5) (ग) के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विभागीय जॉचकर्त्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि शासन निर्देशों के तहत विभागीय जॉच की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला मुरैना के स्पष्ट अभिमत के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें।

16/05/2017
आयुक्त,
चम्बल संभाग, मुरैना (म0प्र0)

पृ0क्र0 / विकास / 23–4 / 15 / 2017 / 3460 मुरैना, दिनांक 16 / 05 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश 1, अरेरा हिल्स प्रशासनिक क्षेत्र तिलहन संघ परिसर भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना (म0प्र0)।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना की ओर उक्त आदेश की दो अतिरिक्त प्रतियां प्रेषित हैं कि एक प्रति संबंधित को व्यक्तिशः तामील कराकर उनकी पावती सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी विभागीय जॉच शाखा, कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना ज्ञापन, आरोप/आधार पत्रादि की छायाप्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जॉच प्रक्रिया नियत अवधि में पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
7. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जॉच की कार्यवाही में जॉचकर्ता अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
8. संबंधित श्री ए. पी. प्रजापति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कैलारस, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ।

16/05/2017
आयुक्त,
चम्बल संभाग, मुरैना (म0प्र0)